



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-759/2026/470/22-2-2026-17(187)/2020
लखनऊ: दिनांक: 15 जून, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी गुरुबक्श सिंह (बन्दी सं0-27943) पुत्र श्री सोबरन सिंह, रठेरा, थाना-बरनाहल, जनपद-मैनपुरी का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-375/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-04), मैनपुरी के आदेश दिनांक 04.02.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.01.2018 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया, बन्दी द्वारा दिनांक 26.10.2025 तक अपरिहार 09 वर्ष, 24 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 09 माह, 09 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-759/2026/470(1)/22-2-2026 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
- 3- पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।